न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी– सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

1.जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 998 सन 2026

CNR No. UPSP 01003087- 2026

नदीम पुत्र नसीम निवासी मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य । **.....विपक्षी।**

2.जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1071 सन 2026

CNR No. UPSP 01003233- 2026

1.सलमान पुत्र मुन्नू
2.राकिब पुत्र मुन्नू
निवासीगण ग्राम रामपुर कालॉ थाना गंगनहर रूडकी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य । **.....विपक्षी।**

मु0अ0सं0 116/2026
धारा–318(4),319(2),338,340(2),
336(3) व 61(2) बी0एन0एस0
थाना–बेहट सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

18.03.2026

उपरोक्त दोनो जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–116/2026 थाना बेहट सहारनपुर से सम्बन्धित होने के कारण उपरोक्त दोनो जमानत प्रार्थनापत्रो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण **नदीम, सलमान एवं राकिब** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त नदीम दिनांक 08.03.2026 एवं सलमान एवं रागिब दिनांक 10.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ मौहम्मद अली एवं नौशाद के शपथपत्र दाखिल किये गये हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण के यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है, वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में अभियक्त का कोई जमानत प्रार्थनापत्र लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्त फरमान द्वारा थाना बेहट पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि वादी को कुछ जमीन की आवश्यकता थी। वादी व उसकी पत्नी उस्मानी जमीन देखने सहारनपुर आये तो कस्बा बेहट में विपक्षी फजलुर्रहमान, नदीम व दो अन्य अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादी व उसकी पत्नी को नौशेरा ततारपुर स्थित मदरसे के पीछे एक जमीन दिखाई और नदीम द्वारा स्वॅय को उक्त जमीन का मालिक होना दर्शाते हुए बैनामा के कागज, उस पर अपनी फोटो व आधार कार्ड दिखाकर तस्दीक कराये। वादी द्वारा विपक्षीगण के साथ उक्त जमीन का सौदा तय कर 50,000/रू0 नदीम के खाता में तथा 50,000/रू0 नदीम द्वारा बताये गये अन्य खाता में स्थानान्तरित किये गये। दिनांक 06.03.2026 को विपक्षीगण द्वारा बैनामा कराने के लिए कहे जाने पर वादी अपनी पत्नी के साथ बैनामा कराने के लिए बेहट तहसील आया और स्टाम्प खरीद कर बैनामा तैयार कराया और विपक्षीगण को 25 लाख रूपये नगद तथा 40 लाख रूपये के चैक बैनामा से पूर्व दिये गये। बैनामा कराते समय बैनामा करने वाले व्यक्ति अपने मुहॅ पर मास्क लगाया हुआ था तथा बायोमेट्रिक होने पर उक्त व्यक्ति के अगूंठा निशान का मिलान न होने पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय से बताया गया कि बैनामा करने वाला व्यक्ति नदीम नहीं है। इस बात की जानकारी होने पर वादी व अन्य लोगो द्वारा फर्जी नदीम व उसके साथी को मौके पर पकड लिया गया तथा पुलिस को सूचना दी गयी। विपक्षी फजलुर्रहमान, नदीम व अन्य दो व्यक्ति मौके से भाग गये।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण फजलूर्रहमान, नदीम व चार अन्य व्यक्तियो के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित अभिकथनो का समर्थन करते हुए यह बहस की गई है कि अभियुक्तगण को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण सलमान व रागिब की ओर से बहस की गयी है कि वह अपने निजी कार्य से दिनांक 06.03.2026 को बेहट तहसील गये हुए थे, वहॉ किसी बात को लेकर किन्ही व्यक्तियो में कहा सुनी हो रही थी, वह मौके पर खडे हो गये तभी थाना बेहट की पुलिस मौके पर आयी और उन्हे इस मामले में पकड गय थाना ले गयी। अभियुक्त नदीम की ओर यह तर्क किया गया है कि दिनांक 06.03.2026 को उसकी जमीन धोखाधडी कर फर्जी कागजात के आधार पर वादी फरमान व उसकी पत्नी के नाम विक्रय की जा रही थी, जिसके लिए वादी का फर्जी आधार कार्ड व अन्य कागजात भी तैयार किये गये थे, रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियो को सन्देह होने पर उन्होने पुलिस को सूचना दी और पुलिस द्वारा मौके पर पहुॅचकर धोखा धडी करने वाले व्यक्तियो को मौके पर पकड लिया गया। बाद में जानकारी होने पर वह तहसील व थाना पर गया और घटना के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र दिया गया परन्तु पुलिस द्वारा अभियुक्तगण से साज करके बैनामा कराने वाले फरमान से तहरीर लेकर, उसे इस मामले में झूठा फसाया गया है। उक्त आधार पर अभियुक्तगण की ओर से उन्हे इस मामले में जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ धोखाधडी कर नाजायज लाभ कमाने के आशय से प्रश्नगत भूमि को विक्रय करने का सौदा वादी व उसकी पत्नी के साथ तय करके उससे अग्रिम धनराशि के रूप में भिन्न भिन्न तिथियो पर कुल एक लाख रूपये प्राप्त कर, बैनामा की दिनांक को 25 लाख रूपये नगद व चालीस लाख रूपये के चैक प्राप्त कर, बैनामा के समय नदीम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नदीम होना दर्शित करते हुए, नदीम का फर्जी आधार कार्ड व अन्य प्रपत्र तैयार उन्हे असल के रूप में प्रयोग करते हुए बैनामा कराने का प्रयास करने का आक्षेप है। केस डायरी पर अंकित **वादी फरमान** द्वारा केस डायरी में अंकित अपने बयान में कथित भूमि का सौदा नदीम पुत्र नसीम के साथ तय करने, वादी से अग्रिम धनराशि के रूप में एक लाख रूपये बैंक खाता के माध्यम से तथा बैनामा की दिनांक पर 25 लाख रूपये नगद, 40लाख रूपये के चैक प्राप्त करने के पश्चात बैनामा के समय नदीम पुत्र नसीम के स्थान पर साकिब सलमान पुत्र मुन्नु को नदीम के फर्जी आधार कार्ड व अन्य प्रपत्रो के साथ बैनामा हेतु खडा करने, बायोमेट्रिक के समय उक्त व्यक्ति का अगूंठा निशान का मिलान नदीम के अगूठा निशानी से न होने पर उक्त व्यक्ति के नदीम न होने की जानकारी होने तथा उक्त फर्जी नदीम मौके पर पकड लेने, पुलिस को सूचना तथा विपक्षी फजलुर्रहमान, नदीम व अन्य दो व्यक्ति मौके से भाग जाने का कथन किया है। केस डायरी पर अंकित **बाबर** द्वारा अपने बयान में बैनामा के समय सलमान पुत्र मुन्नू नामक व्यक्ति द्वारा स्वॅय को नदीम होना दर्शित करते हुए बैनामा करने के लिए खडा होने बायोमेट्रिक के समय उक्त व्यक्ति का अगूंठा निशान का मिलान नदीम के अगूठा निशानी से न होने पर उक्त व्यक्ति के नदीम न होने की जानकारी होने तथा उक्त फर्जी नदीम मौके पर पकड लेने, पुलिस को सूचना तथा विपक्षी फजलुर्रहमान, नदीम व अन्य दो व्यक्ति मौके से भाग जाने का कथन

किया है। प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार सलमान व रागिब को मौके पर गिरफतारी किया जाना दर्शित है। केस डायरी के अनुसार दौरान विवेचना अभियुक्त नदीम को दिनांक 08.03.2026 को गिरफतार करने पर उसकी निशानदेही पर वादी मुकदमा द्वारा प्रदान किये गये दस दस लाख रूपये के तीन चैक बरामद होना दर्शित है। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा तर्क किया गया है कि प्रस्तुत मामले की विवेचना प्रचलित है। केस डायरी पर विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण की प्रस्तुत मामले में संलिप्तता प्रथम दृष्टया परिलक्षित है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ धोखा धडी कर कुल 26 लाख रूपये नगद व बैक खाता के माध्यम से प्राप्त करने जैसा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। केस डायरी के अनुसार प्रकरण में अभियुक्त नदीम के बैक खाता की स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त करने के सन्दर्भ में सम्बन्धित बैंक के प्रबन्धक को आवश्यक पत्राचार किया गया है। अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने की स्थिति में उनके फरार होने तथा उनके द्वारा विवेचना प्रभावित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो एवं अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण दोष पर बिना कोई विचार किये प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की जमानत हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **नदीम, सलमान व राकिब** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1071/2026 के साथ रखी जाये।

दिनांकः–18.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891